


152



न्यायालय MO प्रो राजस्व मण्डल केन्द्र, ग्वा लियर

प्रो प्रो / निगरानी 10 - R-875-III

आदेश अधिभाषक अ. 10/6/10
10/6/10
10/6/10
10/6/10

- 1. रामा पिता कालु भील
 - 2. डाडम पिता कालु भील
- दोनो निवासीगण कानासेडा तहसील व जिला
छत्ते नीमच ----- आदेशकाम

किरूद

- 1. MO प्रो शासन द्वारा क्लेक्टर महोदय नीमच
 - 2. किशोर पिता सुरजमल आर्य
- निवासी. डी- 12 चम्कल कालोनी नीमच, जिला
नीमच ----- अनादेशकाम

ग्राहक
15-6-10
केस्य गजपति

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 MO प्रो MO प्रो MO प्रो संविदा

माननीय महोदय,

आदेशकाम अधिनस्थ योस्य न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन सेभाग

उज्जैन के प्रो प्रो 3/ निगरानी 08-09 मे पारित आदेश दिनांक 30.11.09 को से
अनुसूष्ट एवं दुःखत होकर निम्न कारणों के आधार पर मकल के दिन मुजरा करने
पर निगरानी अन्दर अधि प्रस्तुत कले है।

- 1. यह कि अधिनस्थ योस्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि विधान
बर्करिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2. यह कि अधिनस्थ योस्य न्यायालय द्वारा प्रकरण को समीक बोले जो आदेश
किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
- 3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत मौज्जा पटवारों, प्रभारी
तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, नीमच के प्रतिवेदनो को अवेक्षा कर मनमो
आधार पर प्रस्तुत अधिनस्थो के प्रतिवेदनो को प्रकट कर उनके प्र तिवेदनो के
किरूद आदेश प्रदान किया गया है जो आदेश विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय

152

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

85

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक - निगरानी-875-एक/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21-12-2016 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	